

दिल्ली जल बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
प्रथम अपीलिय अधिकारी (RTI) निदेशक (सतर्कता)
कमरा नं0 401 वरुणालय खण्ड द्वितीय, करोल बाग,
नई दिल्ली--110005

सं0 दि0ज0बो0एफ ए ए आर टी आई / 598 / अपील / 6017

दिनांक 04-06-14

श्री मोनू-----अपीलकर्ता

बनाम


जन सूचना अधिकारी (सतर्कता) -----प्रतिवादी
आदेश

श्री मोनु ने श्री विनीत कुमार, जन सूचना अधिकारी (सतर्कता) के पत्र संख्या दि0ज0बो / सतर्कता / 6961 / 4713 दिनांक 1-5-2014 द्वारा सूचना का अधिकार के अर्न्तगत दी गई सूचना के विरुद्ध अपील दायर की थी ।

श्री मोनु, अपीलकर्ता की ओर से श्री संजीव कुमार उपस्थित हुए एवं श्री विनीत कुमार, जन सूचना अधिकारी उपस्थित थे ।

अपीलकर्ता ने अपनी अपील में यह कहा है कि वह जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है । जन सूचना अधिकारी ने कहा कि प्रश्न संख्या 02 में अपीलकर्ता को आठ रुपये फोटो कापी के जमा कराने हेतु कहा गया था जो उसने जमा करा दिये और उसको कुल चार पृष्ठ जानकारी हेतु भेज दिये गये हैं ।

मैंने जनसूचना अधिकारी को सुना एवं अपीलकर्ता को सुना व इसके बाद पाया कि अपीलकर्ता जन सूचना अधिकारी के जवाब से अब संतुष्ट है । अतः आई डी संख्या सतर्कता / 598 की अपील को निरस्त किया जाता है ।


प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- 1 श्री मोनु, ए-838 गली नं0 11 मीत नगर, दिल्ली
- 2 श्री विनीत कुमार, जन सूचना अधिकारी (सतर्कता)
- 3 अधिशासी अभियन्ता (ई0 डी0 पी0) आदेश को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईड पर अपलोड करें ।


EXECUTIVE ENGINEER (EDP)

DIR No. 1902

DATE 05/06/14

Sh Sanjay Singh 20/06/14


6.6.14


प्रथम अपीलीय अधिकारी